

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/पार्ट-III/ 10943

दिनांक: 14/12/2020

मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार।

विषय:—आदर्श आचरण संहिता वापस लेने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 07.11.2020 एवं दिनांक 12.11.2020 द्वारा कुल 50 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई थी। उक्त निकायों में सदस्य पदों हेतु मतदान दिनांक 11.12.2020 को एवं मतगणना कार्य दिनांक 13.11.2020 को पूर्ण हो चुका है।

अतः आयोग के निर्देशानुसार उक्त 12 जिलों में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रभावी आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से वापस (Withdraw) लिया जाता है, लेकिन इन जिलों के निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगरीय निकायों के रिटर्निंग अधिकारियों के स्थानान्तरण उपाध्यक्ष पद के निर्वाचनों की समाप्ति तक नहीं किये जा सकेंगे।

www.rajsevak.com

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/पार्ट-III/ 10944

दिनांक: 14/12/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
8. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (नगरपालिका), अलवर, बारां, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, एवं सिरोही।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव